न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:– श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:– 221 / 2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. तुलसाराम पुत्र रूपाराम जाति सीरवी निवासी बेरा बड़लिया, बगड़ी नगर तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति:–

1. श्री पुनीत दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित
2. तहसीलदार सोजत उपस्थित

–: निर्णय :– दिनांक – 18/12/2024

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा बगड़ी चक द्वितीय, पटवार हल्का बगड़ी चक द्वितीय, भू.अ.नि.क्षेत्र बगड़ी तहसील सोजत में प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि आई हुई स्थित है, जिसके खाता संख्या 122 खसरा संख्या 3066 रकबा 2.9500 हैक्टर, खसरा नंबर 3080 रकबा 2.2500 हैक्टर, खसरा नंबर 3081 रकबा 2.9000 है0, खसरा नंबर 3082 रकबा 2.6000 है0 कुल खसरा 04 कुल रकबा 10.7000 हैक्टर है, उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम तुलसीराम पुत्र रूपाराम अंकित है, जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम तुलसाराम पुत्र रूपाराम है। प्रार्थी के तमाम दस्तावेजात वोटर आई0 डी0 कार्ड, पैन कार्ड, जन–आधार कार्ड, आधार कार्ड, ई–श्रम कार्ड, वाहन की आर.सी., ड्राईवींग लाईसेंस, बैंक पास बुक, परिवार राशनकार्ड में तुलसाराम पुत्र रूपाराम ही अंकित है। प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी को अन्य सरकारी योजनाओं से मेहरूम होना पड़ रहा है, साथ ही प्रार्थी को अन्य राजस्व कार्यों में भी बाधा/अडचन कारित हो रही है, ऐसी परिस्थिति में प्रार्थी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम तुलसीराम पुत्र रूपाराम के स्थान पर तुलसाराम पुत्र रूपाराम अंकित करवाये। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र प्रस्तुत कर उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम तुलसीराम पुत्र रूपाराम के स्थान पर तुलसाराम पुत्र रूपाराम दुरूस्त कर शुद्धि किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर पैरा सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा बगड़ी चक द्वितीय में स्थित होना, पैरा सं0 2 का जबाब प्रार्थी स्वयं न्यायालय में साक्ष्य सबूत पेश कर साबित करना तथा पैरा सं0 3 का कानूनी होना अंकित किया हैं।

इस संबंध में तहसीलदार सोजत से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सोजत द्वारा पत्रांक/राजस्व/2024/1841 दिनांक 18.12.2024 द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रार्थीया के तमाम दस्तावेजों तथा उपस्थित मौतबिरानों से पूछताज में सही पाये जाने पर प्रार्थी का नाम तुलसाराम दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की हैं।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

वहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। वहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा बगड़ी चक द्वितीय तहसील सोजत में खाता संख्या 122 खसरा संख्या 3066 रकवा 2.9500 हैक्टर, खसरा नंबर 3080 रकवा 2.2500 हैक्टर, खसरा नंबर 3081 रकवा 2.9000 है0, खसरा नंबर 3082 रकबा 2.6000 है0 कुल खसरा 04 कुल रकवा 10.7000 हैक्टर की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम तुलसीराम पुत्र रूपाराम के स्थान पर तुलसाराम पुत्र रूपाराम दुरूस्त इन्द्राज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब वहस में तहसीलदार सोजत द्वारा कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, अन्य दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड, इत्यादि का अवलोकन कर गहनता से अध्ययन किया गया। वस्तुतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट से प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम तुलसीराम नहीं होकर तुलसाराम होने की संपुष्टि होती है। जिससे प्रार्थित भूमि में दर्ज नाम तुलसीराम के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम तुलसाराम दुरूस्त रूप से इन्द्राज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा बगड़ी चक द्वितीय, पटवार हल्का बगड़ी चक द्वितीय, भू. अ.नि.क्षेत्र बगड़ी तहसील सोजत में खाता संख्या 122 खसरा संख्या 3066 रकबा 2.9500 हैक्टर, खसरा नंबर 3080 रकबा 2.2500 हैक्टर, खसरा नंबर 3081 रकबा 2.9000 है0, खसरा नंबर 3082 रकवा 2.6000 है0 कुल खसरा 04 कुल रकबा 10.7000 हैक्टर की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम तुलसीराम पुत्र रूपाराम के स्थान पर तुलसाराम पुत्र रूपाराम दुरूस्त इन्द्राज किये जाने के आदेश दिए जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 18/1/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)